पत्र संख्या-एडि0कमि0 (प्रशा0)कैम्प/ 3465 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(एडिशनल कमिश्नर (प्रशा0)कैम्प)
लखनऊ:: दिनांक:: 21 अक्टूबर , 2011

समस्त कार्यालयाध्यक्ष, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।
समस्त आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, उ0प्र0।

लिपिक,आशुलिपिक, संख्या संवर्गीय संघों के द्वारा माह सितम्बर-2011 में किये गये कार्य बहिष्कार एवं हड़ताल अवधि के सम्बन्ध में शासन के पत्रांक-3187/11-3-2011-795/01 दिनांक 14-10-2011 के अन्तर्गत प्रकरण में विभागाध्यक्ष स्तर से यथोचित निर्णय लिये जाने की अपेक्षा की गयी है । इस सम्बन्ध में उक्त तीनों सेवा संघों के द्वारा पृथक-पृथक प्रस्तुत किये गये पत्र दिनांक 20-10-2011 की छाया प्रतियाँ संलग्न हैं ।

2- अत: कृपया उक्त तीनों सेवा संघों के उक्त पत्रों में व्यक्त की गयी सहमति/ अनापत्ति के अनुसार सम्बन्धित कार्मिकों को हड़ताल एवं अन्य दिनांक के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करके आकस्मिक/ अर्जित अवकाश स्वीकृत कर दिये जाये। उक्त के अतिरिक्त पूर्ण कालिक या अंश कालिक कार्य बहिष्कार अवधि के लिए संघो के उक्त पत्रों पर विचार करते हुए इनमें उल्लिखित तथ्यों के बारे में सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारियों से पुष्टि कराते हुए यथोचित कार्यवाही यथा शीघ्र करने का कष्ट करें ताकि कार्मिकों के मासिक वेतन के आहरण वितरण में कठिनाई न हो ।

संलग्नक:: यथोक्त ।

ह0/
(चन्द्रभानु)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश ।

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक:: उक्त ।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- विशेष सचिव, कर एवं निबन्धन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को शासन के उपरि संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2- अपर निदेशक, प्रशिक्षण, वाणिज्य कर, गोमतीनगर, लखनऊ।
3- समस्त ज्वाइंट कमिश्नर/ अनुभाग प्रभारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।
4- आहरण वितरण अधिकारी, वाणिज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ ।

ह0/
(ए0 बी0 सिंह)
डिप्टी कमिश्नर (स्था-अरा.)वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।